International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 1, Jan.-Feb., 2025

ग्रामीण पंचायती राज में महिला नेतृत्व की सहभागिता एवं चुनौतिया

कैलाश चन्द्र वैष्णव

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हैं 73 वें संविधान में पहली बार सब आल्टर्न समूहों और महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कार्य का अवसर प्राप्त हुआ। जन चेतना जागरूकता और कर्मठता के अभाव में पंचायतों के माध्यम से गांवों में पारम्परिक रूप से प्रभुत्वशाली जातियाँ एवं पुरुष सत्ता पर नियंत्रण रखते है। इसका परिणाम यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित समुदाय जैसे महिलाएँ अनुसूचित जाति जनजाति इत्यादि आज भी हाशिये पर ही खड़े हैं।

भारत में पंचायती राज एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो यहां की सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव के स्वप्न के साथ जुड़ी हुई है। 73वें संविधान संशोधन में पहली बार ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के पिछड़े हुए तबको को विशेष स्थान दिया गया।

पंचायतो में महिलाएँ –
पंचायतों की संख्या की स्थिति 1 अप्रेल 2005 के अनुसार निम्न है।

ग्राम पंचायत — 234676
मध्यवर्ती पंचायत — 6097
जिला पंचायत — 241310
इन पंचायतों में जिला पंचायत — 41 प्रतिशत
मध्यवर्ती पंचायत — 43 प्रतिशत
ग्राम पचायत — 40 प्रतिशत है।

पंचायतों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएँ कार्यरत हैं।

तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 60000 से अधिक महिला है।

पंचायत में निर्वाचित महिलाए निःशुल्क भूमि आवंटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन आदि में बढ चढकर योगदान दे रही है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। इसके तहत पंचायतों में 29 विषय जोड़े।

राजस्थान में पंचायतीराज का त्रि–स्तरीय ढांचा

ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद
संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये सीटों को आरक्षित किये जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक क्षेत्र में पंचायत में सीटों का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुपात में होगा।

अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों की एक तिहाई से कम नहीं होगी।

ग्रामीण महिला

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल–विकास (DWCRA) 1982–83 में 50 ग्रामीण जिलों में शुरू किया गया। इनके चलते महिलाएँ अपनी झिझक और कमजोरियों को खरीद–फरोख्त के अलावा महंगे, साहुकारों के ब्याज के बजाय बैंक से ऋण लेने में सक्षम हुई।

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति और आरक्षण

- पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू होने से गाँव की महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ। वर्तमान समय में महिला आरक्षण को कई राज्यों ने 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है।
- जिसमें ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भूमिका व भागीदारी बढ़ी है। एक और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घूँघट में रहने के लिए विवश थी। उन्हें पंचायतों में बोलने का बहुत कम अधिकार था। उन्हें अपने पति पिता या उन रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। महिलाओं की समस्या पर वे खुद नहीं बोल पाती थी। लेनिक आज का समाज भी बदल रहा है, और उन्हें इसके लिए अधिकार भी मिल रहे हैं।

पहली बार –

- 1959 में जब पंचायतों के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने महिला के लिए भी भागीदारी की बात की।
- समय–समय पर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है। लेकिन पंचायती राज अधिनियम 1992 में ग्रामीण भारत की महिलाओं की सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुई।
- वर्तमान समय में हमें प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती चली आ रही है।

महिलाओं को पचांयत में आरक्षण –

- भारत की संसद ने महिलाओं को 332 आरक्षण भले ही नहीं प्राप्त हो पाया हो, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीट आरक्षित है।
- अधिकांश राज्यों में इस आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। इन राज्यों में पंचायतों के प्रत्येक दूसरा पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

1 मध्यप्रदेश 2 गुजरात 3 आन्ध्रप्रदेश 4 आसाम 5 छत्तीसगढ़ 6 हिमाचल
7 कर्नाटक 8 झारखण्ड 9 पं. बंगाल 10 पंजाब 11 ओडिसा
12 राजस्थान 13 महाराष्ट्र 14 तमिलनाडु 15 तेलंगाना 16 उत्तराखंड

महिला आरक्षण से महिला की स्थिति में बदलाव –

- ग्रामीण विकास में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में निरन्तर बदलाव आ रहा है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिला की भागीदारी बड़ी है।
- आज देश में 25 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे है। इनमें से भी अधिक महिलाएँ हैं। जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46–14 प्रतिशत है।
- पंचायत राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएँ राजनीति में हिस्सा ले रही है।

- बालिका शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हुई। और इसके प्रति लोगों की रूचि बढ़ रही है।
- आरक्षण के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है।
- भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार व बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
- पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ रही हैं।
- महिलाओं में आत्मानिर्भरता और आत्म सम्मान का विकास हुआ है।
- एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण के कारण राजनैतिक क्षेत्रों में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है।

अतः कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ। सही मायने में पंचायती राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बना।

महिला आरक्षण की चुनौतियों –

- भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे आने की जरूरत है। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद आज पंचायतों में महिला की जगह उनके पति पुत्र, पिता या उनके रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नजर आते। अधिकारी निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में वे मुकदर्शक रहती है।
- अब भी कुछ परिवार महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं।
- भारत में कई राज्यों में अब भी महिला सरपंचों के पति ही उनके काम संभालते दिख जाऐंगे। इस कारण उन्हें सरपंच पति या प्रधान पति जैसे शब्दों ने नवाजा जाता है।
- यहाँ तक कि सभाओं में या अन्य जगहों पर अपने आपको प्रधान पति कहने में अपनी साख समझते है।
- उनका काम तो चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पुरुष ही चुनावों में वोट मांगने और प्रचार भी करते हैं। चुनाव में एजेंट बनने से मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं।
- चुनाव से पहले और जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती नजर आती है। उनकी तरफ से सारे वायदें और योजनाएँ उनके पति ही जनता के सामने पेश करते है।
- इसके फलस्वरूप स्वस्थ जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता हैं। शिक्षा और जन–जागरूकता के अभाव में महिला प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है।
- इस प्रकार महिला प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाली रोबोट बन कर कार्य करती है।

महिला की सहभागिता बढ़ाने के उपाय –

आरक्षण के कारण सैद्धान्तिक रूप से शक्ति महिलाओं हाथों में आ गई। परन्तु यह भी कि आज पुरुष सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण रखे हुए हैं। अज्ञानता एवं अनुभवहीनता पुरुषों पर निर्भरता महिलाओं केलिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि महिला ने जागरूकता लाई जाये। उनको राजनीतिक जानकारी से अवगत करवाया जाए। जहाँ तक सम्भव हो उन्हें नई भूमिका को निभाने के लिए शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाए। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये। वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितनी संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे। इनकी जानकारी दी जाए। तभी वे ग्राम के लिए प्रभावशाली योजनाएँ बना सकेगी एवं विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुँच जाएगी।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली उनकी भूमिका समय–समय पर मीडिया पत्र पत्रिकाओं द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये। रेडियो, टी.वी. प्रसारणों में वार्ताओं व विशेष रूप से ग्राम पंचायतों का ध्यान व सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।

संक्षेप में हम कहे तो पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार तो आया है। परन्तु अभी भी वह महिलाएँ इतनी सशक्त नहीं हुई कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सके। इसके लिए महिलाओं को भी निडर होकर आगे आना होगा।

संदर्भ सूची

[1]. पंचायती राज एवं वंचित महिला का उभरता नेतृत्व, ललित कुमावत, वी.के. तनेजा, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी ।
[2]. ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
[3]. ग्रामीण विकास सिद्धान्त नीतियां एवं प्रबन्ध, एवं अनिल सिसोदिया, BA GB पं. इण्डिया प्रा. लि. दिल्ली
[4]. ग्रामीण विकास के विविध आयाम, डॉ. जनकसिंह मीणा, ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली
[5]. सुजस, मासिक (20 मई 2013)